2025:CGHC:54799–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील क्रमांक 278/2018

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक 03.11.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक 11.11.2025

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा – पुलिस थाना अंबागढ़ चौकी, जिला – राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

...अपीलार्थी

विरुद्ध

- रेखचंद बनोटे, पिता – बालकृष्ण बनोटे, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी – रेलवे कॉलोनी, डोंगरगढ़, पुलिस थाना डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

...प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	सुश्री प्रज्ञा पाण्डेय, उप शासकीय अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री खिलेंद्र साहू, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल

सी.ए.वी. निर्णय

द्वारा: न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल

1. अपीलार्थी/राज्य द्वारा प्रस्तुत यह दोषमुक्ति अपील, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 90/2016 में दिनांक 17.11.2017 को पारित निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) और 506 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 03.09.2016 को, लगभग 32 वर्ष की एक विवाहित स्त्री,पीड़िता ने पुलिस थाना अंबागढ़ चौकी में एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–4) दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ कई अवसरों पर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद, जब उसे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी उसे धोखा दे रहा था और उसका उससे विवाह करने का कोई आशय नहीं था, तब उसने वर्तमान रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–4) के आधार पर, अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–7) पंजीबद्ध की गई है।

3. विवेचना के दौरान, प्रदर्श पी–1 के माध्यम से घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया और प्रदर्श पी–5 के माध्यम से सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद, पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया, जहाँ अ.सा.–4 डॉ. ई.डी. ने उसका परीक्षण किया और उसके साथ हाल ही में हुए किसी भी बलपूर्वक संभोग के लक्षण नहीं पाए, न ही पीड़िता के शरीर पर आंतरिक या बाह्य चोट का कोई निशान पाया और प्रदर्श पी–3 के माध्यम से उसकी एम.एल.सी. रिपोर्ट दी। अभियुक्त–प्रत्यर्थी को प्रदर्श पी–9 के माध्यम से अभिरक्षा में लिया गया।

4. साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और विवेचना पूर्ण करने के पश्चात, संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त–प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त–प्रत्यर्थी ने दोष अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

5. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करने के पश्चात, आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/प्रत्यर्थी को उसके विरुद्ध विरचित उक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित कर अभियुक्त/प्रत्यर्थी को उक्त आरोपों से दोषमुक्त करने में त्रुटि की है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, विशेष रूप से पीड़िता अ.सा.–5 का परिसाक्ष्य, जिससे यह स्थापित होता है कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने विवाह के झूठे झांसे में पीड़िता के साथ कई अवसरों पर शारीरिक संबंध बनाए थे और अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करके गंभीर त्रुटि की है। अतः, दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय विकृति और अवैधता से ग्रसित है और अपास्त किए जाने योग्य है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस या निर्णायक साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शा सके कि प्रत्यर्थी ने विवाह के झूठे झांसे में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीड़िता शुरू से ही इस बात से अवगत थी कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी एक विवाहित व्यक्ति था और इस जानकारी के बावजूद उसने अभियुक्त/प्रत्यर्थी के साथ अपने संबंध जारी रखे। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत उचित निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसलिए, राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। इसके समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जसपाल सिंह कौरल विरुद्ध एनसीटी दिल्ली राज्य व एक अन्य* (विशेष अनुमति याचिका (दा.) क्रमांक 4007/2024, दिनांक 07.04.2025 को निर्णीत) में पारित निर्णय का अवलंब लिया गया है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जफरुद्दीन व अन्य विरुद्ध केरल राज्य, (2022) 8 एससीसी 440 के प्रकरण में दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप के दायरे पर विचार किया है, जो निम्नानुसार है:

> "25. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण माना जा सकता है, विशेष रूप से तब जब अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा चुका हो। इसका कारण यह है कि दोषमुक्ति का आदेश अभियुक्त के पक्षकार में निर्दोषता की उपधारणा को और बढ़ा देता है। अतः, अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटने में अपेक्षाकृत सतर्क होना चाहिए। अभियुक्त के पक्षकार में यह उपधारणा कमजोर नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती है। अभियुक्त के पक्षकार में उत्पन्न होने वाली ऐसी दोहरी उपधारणा को केवल स्वीकृत विधिक मापदंडों की गहन जांच के बाद ही विक्षुब्ध किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अब प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी विचाराधीन अपराध का कर्ता है?

11. पीड़िता अ.सा.–5 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि वह और अभियुक्त/प्रत्यर्थी एक ही कार्यालय में कार्यरत थे। उसने आगे कथन किया कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी पहले से ही एक विवाहित पुरुष था और अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने विवाह के झूठे बहाने पर उसके साथ कई अवसरों पर शारीरिक संबंध बनाए और वर्ष 2011 से 2015 तक, उसने उसी झूठे आश्वासन पर उसके साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाए रखे। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि उसका पहला विवाह वर्ष 2001–2002 में तिलक यादव नामक व्यक्ति के साथ हुआ था और उनके मध्य कोई तलाक नहीं हुआ था। उसने आगे स्वीकार किया कि दिनाँक 29.02.2016 को उसने भीकम देवांगन नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह और अभियुक्त/प्रत्यर्थी रायपुर के एक होटल में साथ रहे थे, जहाँ कमरा उसके (पीड़िता के) पहचान पत्र का उपयोग करके बुक किया गया था, और उस होटल में उनके मध्य शारीरिक संबंध बने थे। उसने आगे स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त/प्रत्यर्थी को सूचित कर दिया था कि वह पहले से ही एक विवाहित स्त्री थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी का विवाह अप्रैल 2011 में हुआ था, और

उसे उसके विवाह के बारे में होने से कुछ दिन पूर्व ही पता चल गया था, फिर भी उसने उसके परिवार या किसी अन्य के समक्ष उसके विवाह पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जसपाल सिंह कौराल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, नईम अहमद विरुद्ध राज्य (एनसीटी) दिल्ली, (2023) 15 एससीसी 385 में अपने पूर्व के निर्णय का अवलंब लेते हुए, कण्डिका 13 और 14 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

> ""13. प्रारंभ में ही, हम नईम अहमद (पूर्वोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख करते हैं, जिसमें इस माननीय न्यायालय ने एक समान प्रकरण का निर्णय किया था, जिसमें कथित तौर पर अभियोक्त्री ने विवाह के आश्वासन पर अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए अपनी सम्मति दी थी। अभियोक्त्री, जो स्वयं तीन संतानों वाली एक विवाहित स्त्री थी, ने शिकायत दर्ज कराने से पूर्व कम से कम पाँच वर्षों तक अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ ऐसे संबंध जारी रखे थे। तथ्यों और परिस्थितियों के इस परिप्रेक्ष में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया था:
>
> '21. प्रत्यर्थीगण की ओर से उठाया गया मुख्य विवाद यह है कि अभियोक्त्री ने तथ्य की भूल के अधीन लैंगिक संबंधों के लिए अपनी सम्मति दी थी, क्योंकि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का झूठा वादा किया था और बाद में उसने विवाह नहीं किया, और इसलिए ऐसी सम्मति विधि की दृष्टि में कोई सम्मति नहीं थी और प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के दूसरे खंड के अंतर्गत आता था। इस संबंध में, यह विचार में रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त द्वारा झूठा वादा करने और वादे को तोड़ने के मध्य अंतर होता है। झूठे वादे के प्रकरण में, अभियुक्त का प्रारंभ से ही अभियोक्त्री से विवाह करने की कोई आशय नहीं होता और वह केवल अपनी कामुकता की पूर्ति के लिए विवाह का झूठा वादा करके अभियोक्त्री को ठगता या धोखा देता है; जबकि वादे के उल्लंघन के प्रकरण में, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त ने पूरी गंभीरता के साथ विवाह करने का वादा किया होगा, और बाद में उसे कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, जिसने उसे अपना वादा पूरा करने से रोक दिया। इसलिए, विवाह के वादे के हर उल्लंघन को झूठा वादा मानना और धारा 376 के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर अभियोजन चलाना एक भूल होगी। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रत्येक प्रकरण न्यायालय के समक्ष सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वर्तमान प्रकरण में, अभियोक्त्री, जो स्वयं एक विवाहित स्त्री थी और जिसके तीन संतानें थी, के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपीलार्थी द्वारा किए गए कथित झूठे वादे के प्रभाव में या तथ्य की भूल के अधीन अपीलार्थी के साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए अपनी सम्मति दी थी। निस्संदेह, वह कम से कम लगभग पांच वर्षों तक, अर्थात् वर्ष 2015 में शिकायत दर्ज कराने तक, उसके साथ ऐसे संबंध बनाए रही। यदि न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य में लगाए गए आरोपों को उनके वास्तविक मूल्य पर भी स्वीकार कर लिया जाए, तो भी अपीलार्थी द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों को "बलात्संग" के रूप में व्याख्यायित करना प्रकरण को बहुत अधिक खींचने जैसा होगा। अभियोक्त्री एक विवाहित स्त्री और तीन संतानों की माँ होने के नाते इतनी परिपक्व और बुद्धिमान थी कि वह उस कृत्य की नैतिकता या अनैतिकता के महत्व और परिणामों को समझ सके, जिसके लिए वह अपनी सम्मति दे रही थी। इसके अतिरिक्त, यदि अभियुक्त के साथ इस संबंध के दौरान उसके पूरे आचरण को करीब से देखा जाए, तो प्रतीत होता है कि उसने अभियुक्त के प्रति अपनी पसंद विकसित होने के कारण अपने पति और तीन संतानों के साथ विश्वासघात किया था। वह अपने पति के साथ विवाह के अस्तित्व के दौरान ही अभियुक्त के साथ एक बेहतर जीवन जीने के लिए उसके पास रहने चली गई थी। वर्ष 2011 में जब वह अभियुक्त द्वारा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, तब तक उसे अभियुक्त के विरुद्ध इस बात की कोई शिकायत नहीं थी कि उसने विवाह का झूठा वादा किया है या उसके साथ कपट किया है। उसने वर्ष 2012 में अभियुक्त के पैतृक स्थान का भी दौरा किया और उसे ज्ञात हुआ कि वह एक विवाहित व्यक्ति है जिसके संतानें भी हैं, फिर भी वह बिना किसी शिकायत के दूसरे स्थान पर अभियुक्त के साथ रहती रही। उसने 2014 में अपने तीन संतानों को पति के पास छोड़कर आपसी सम्मति से अपने पति से विवाह–विच्छेद भी कर लिया। वर्ष 2015 में, जब उनके मध्य कोई विवाद हुआ होगा, तब उसने यह शिकायत दर्ज कराई। अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में कहा था कि उसने शिकायत इसलिए दर्ज कराई क्योंकि उसने उसे बड़ी रकम देने की उसकी मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोक्त्री ने तथ्य की भूल के अन्तर्गत अपीलार्थी के साथ लैंगिक संबंधों के लिए अपनी सम्मति दी थी, जिससे कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन बलात्संग का दोषी ठहराया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. नईम अहमद (पूर्वोक्त) का निर्णय वर्तमान प्रकरण के परिप्रेक्ष पर पूरी तरह लागू होता है। इस माननीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल यह तथ्य कि विवाह के वादे के अनुरूप शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे, हर प्रकरण में बलात्संग की श्रेणी में नहीं आएगा। भा.द.सं. की धारा 375 के अधीन अपराध केवल तभी माना जा सकता है, यदि विवाह का वादा अभियुक्त द्वारा केवल लैंगिक संबंधों के लिए सम्मति प्राप्त करने के प्रयोजन से किया गया था और प्रारंभ से ही उसका उक्त वादे को पूरा करने का कोई आशय नहीं था, और विवाह के उस झूठे वादे का अभियोक्त्री द्वारा लैंगिक संबंधों के लिए दी गई सम्मति पर सीधा प्रभाव पड़ा था।"

13. जब वर्तमान प्रकरण का परीक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में किया जाता है, तो पीड़िता (अ.सा.–5) जो कि स्वीकार्य रूप से एक वयस्क स्त्री थी,के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता और प्रत्यर्थी के मध्य प्रेम संबंध था। वह कथित कृत्यों के संबंध में सम्मति देने वाली पक्षकार थी और अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रत्यर्थी के साथ अलग–अलग स्थानों पर रुकती और यात्रा करती थी। इसके अतिरिक्त, पीड़िता के साक्ष्य संकेत देते हैं कि प्रारंभ से ही वह जानती थी कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी एक विवाहित व्यक्ति था और इस तथ्य को जानने के बावजूद, उसने उसके साथ अपना संबंध जारी रखा। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2010 से 2015 तक, उसने अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और दिनाँक 29.02.2016 को एक अन्य व्यक्ति भीकम देवांगन के साथ अपना दूसरा विवाह करने के बाद, केवल दिनाँक 03.09.2016 को एक लिखित रिपोर्ट (प्र.पी.–4) प्रस्तुत किया, जिसमें बाद में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने विवाह के झूठे प्रलोभन पर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। घटनाओं का यह क्रम पीड़िता के आचरण को दर्शाता है और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, अ.सा.–8 (पीड़िता के पिता) भी पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ–साथ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय पर विस्तृत विचार करने के बाद, हमारा सुविचारित अभिमत यह है कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी को उक्त आरोपों से दोषमुक्त करने वाला आक्षेपित निर्णय उचित एवं न्यायसंगत है और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. तदनुसार,अपीलार्थी/राज्य द्वारा अभियुक्त/प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत वर्तमान दोषमुक्ति अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/–
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur